न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओम प्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस

225RTA2022-124(GCMS2022-205)

1. लाबुराम पुत्र सताराम दर्जी
2. सेठाराम गोदपुत्र मोडाराम दर्जी
   निवासीगण ग्राम घंटियाला,
   तहसील व जिला जोधपुर

--- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. भंवरलाल पुत्र सताराम दर्जी
2. झंवरी पत्नी धनराज दर्जी
3. भंवरी पत्नी धनराज दर्जी
   निवासीगण ग्राम घंटियाला,
   तहसील व जिला जोधपुर
4. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार, जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश न्यायालय सहायक कलेक्टर (उत्तर) जोधपुर दिनांक 22 फरवरी 2022 प्रकरण संख्या 25/2020 भंवरलाल बनाम लाबुराम आदि

--- 0 ---

उपस्थित -

- श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
- श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 4

नि र्ण य

दिनांक : 14 अक्तूबर, 2024

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर (उत्तर) जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 25/2020 भंवरलाल बनाम लाबुराम आदि में पारित आदेश दिनांक 22 फरवरी 2022 के खिलाफ आलोच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 24 मई 2022 को प्रस्तुत की है। अपील के साथ एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील पेश करने में विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी-वादी (वर्तमान अपील में रेस्पो. संख्या एक) भंवरलाल पुत्र सताराम द्वारा ग्राम घंटियाला तहसील व जिला जोधपुर स्थित आराजी खसरा संख्या 94, 670, 671 व 673 बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया जाना जाहिर करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के तहत प्रार्थनापत्र पेश किया और वादग्रस्त आराजियात बाबत मूल वाद के निस्तारण तक स्थगन आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 22 फरवरी 2022 को स्वीकार कर लिया गया। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट्स वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित सहखातेदारान है और माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा समय-समय पर विभिन्न मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार विधिवत बंटवारा कराये बिना किसी सहखातेदार/सहखातेदारान द्वारा सहखातेदारी भूमि में से किसी अजनबी केता के पक्ष में बेचान अथवा हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. द्वारा ग्राम घंटियाला तहसील व जिला जोधपुर स्थित आराजी खसरा संख्या 94, 670, 671 व 673 में अपना ⅙ हिस्सा जाहिर करते हुए तदनुसार बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा एवं स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट्स-अप्रार्थीगण की ओर से जबाब प्रस्तुत किया गया और काउण्टर क्लेम पेश कर खसरा संख्या 94, 670, 671 व 673 के साथ ही खसरा संख्या 359, 387, 393, 395 व 397 की भूमि भी पक्षकारान की सहखातेदारी की भूमि होना जाहिर किया गया और निवेदन किया गया कि उक्त आराजियात में से प्रार्थी-रेस्पो. द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अजनबी केता को कर दिया गया है जिसकी आड में अजनबी केता जबरन सहखातेदारी की उक्त आराजियात के भू-भाग विशेष पर जबरन कब्जा करने पर आमदा है। अतः पक्षकारान की सम्पूर्ण सहखातेदारी भूमि बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि बाबत स्थगन आदेश पारित किया जा सकता था, मगर विचारण न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया और मात्र खसरा संख्या 94, 670, 671 एवं 673 बाबत ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है। मियाद के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 22 फरवरी 2022 को पारित किया गया और आइन्दा पेशी 01 अप्रेल 2022 निर्धारित की गयी, जो इल्तवा की जाकर 07 अप्रेल 2022 व उसके आगे 13 जून 2022 मुकर्रर की गयी। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट्स की सुनवाई नहीं होने के कारण दिनांक 20 मई 2022 को अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित नकल प्राप्त कर बाद आवश्यक कार्यवाही आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है। अतः अपील अपीलाण्ट्स अन्दर मियादशुमार करते हुए स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

रेस्पो. संख्या एक से तीन बावजूद सूचना अनुपस्थित। राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या सात ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया गया। जहॉ तक अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, इस संबंध में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम में वर्णित तथ्यों तथा अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स द्वारा इस संबंध में की गयी बहस पर विश्वास करते हुए न्यायहित में अपील अपीलाण्ट्स अन्दर मियादशुमार की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गुणावगुण के संबंध में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करने पर ग्राम घंटियाला तहसील व जिला जोधपुर स्थित आराजी खसरा संख्या 94, 670, 671, 673, 359, 387, 393, 395 व 397 की भूमि भी पक्षकारान की सहखातेदारी की भूमि होना प्रकट होता है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक द्वारा खसरा संख्या 94 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, 670 12 बीघा 01 बिस्वा, 671 रकबा 28 बीघा 12 बिस्वा व 673 रकबा 15 बीघा 06 बिस्वा में अपना ⅙ हिस्सा जाहिर करते हुए दावा एवं स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलाण्ट्स की ओर से ग्राम घंटियाला तहसील व जिला जोधपुर के ही अन्य खसरा संख्या 359 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा, 387 रकबा 47 बीघा 14 बिस्वा, 393 रकबा 3 बीघा 03 बिस्वा, 395 रकबा 3 बीघा 08 बिस्वा व 397 रकबा 26 बीघा 14 बिस्वा में प्रार्थी-रेस्पों. का $^{1}/_{12}$ हिस्सा, अपीलाण्ट संख्या एक का हिस्सा, अपीलाण्ट संख्या 2 का ¼ हिस्सा होना एवं तदनुसार समस्त खसरा नम्बरान की भूमि बाबत स्थगन आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया जाना जाहिर किया गया है। मगर विचारण न्यायालय द्वारा मात्र खसरा संख्या 94, 670, 671 व 673 बाबत ही अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया गया है, जो अदालत हाजा की विनम्र राय में न्यायोचित एवं विधिसम्मतः प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपील अपीलाण्ट्स आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22 फरवरी 2022 अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर पक्षकारान की सहखातेदारी की सम्पूर्ण भूमि बाबत मामले में तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र एवं काउण्टर प्रार्थनापत्र बाबत निस्तारण किया जावे। तब तक वादग्रस्त आराजियात खसरा संख्या 94, 670, 671, 673, 359, 387, 393, 395 व 397 वाके ग्राम घंटियाला तहसील व जिला

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जोधपुर बाबत मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14 अक्तूबर 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर